

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 413 / सो.आ.नि.-117 / 2014

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2014

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, कासगंज, चंदौली को छोड़कर)

उत्तर प्रदेश।

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

विषय: Furnishing information on Social Audit Units in financial year 2014-15.

महोदय,

अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21-10-2014 को समस्त राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ सोशल आडिट के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु संलग्न प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम छमाही में संपन्न सोशल आडिट की सूचना इस निदेशालय द्वारा तैयार कर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित की जानी है।


अतः आपसे अनुरोध है कि विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न प्रारूप पर सूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 तक प्रत्येक दशा उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सूचना प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित की जा सके :-

Social Audit of MGNREGA

- i) Number of GPs that have been audited.
- ii) Number of SA Reports and ATRs uploaded on the website.
- iii) Number of grievances registered based on the findings of the SA.
- iv) Number of grievances redressed/closed.
- v) Number of FIRs registered as per findings of the SA.
- vi) Amount of money that was identified as misappropriated.
- vii) Amount of misappropriated money that has been recovered.
- viii) Number of functionaries against whom action has been taken, based on the findings of the SA.


Social Audit of Indira Awas Yojna (IAY)

- i) Number of GPs that have IAY target.
- ii) Number of GPs that have been audited.
- iii) Number of grievances registered based on the findings of the SA.
- iv) Number of grievances redressed/closed.
- v) Number of FIRs registered as per findings of the SA.
- vi) Amount of money that was identified as misappropriated.
- vii) Amount of misappropriated money that has been recovered.
- viii) Number of functionaries against whom action has been taken, based on the findings of the SA.

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :-

समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की भारत सरकार द्वारा वांछित उक्त बिन्दुओं पर सूचनाएं दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 तक प्रत्येक दशा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(शंकर सिंह)
निदेशक।